FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 173 B.N.S.S.)

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)

(धारा 173 बी. एन. एस. एस. के अन्तर्गत)

1. **District (जिला):** JAIPUR CITY (NORTH) **P.S. (थाना):** SUBHASH CHOWK **Year (वर्ष):** 2026

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0151 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 25/08/2026 23:27 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	316(2)
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	319(2)
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	318(4)
4	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	338
5	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	336(3)
6	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	340(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 31/07/2025 **Date To (दिनांक तक):** 20/07/2026

Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 00:00 बजे **Time To (समय तक):** 00:00 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई)** **Date (दिनांक):** 25/08/2026 **Time (समय):** 22:49 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 096 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 25/08/2026 22:49:00 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1 (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** दक्षिण - पूर्व, 0.49 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** हाण्डीपुरा

(b) **Address(पता):** near Chhoti Masjid, Hadipura

(c)

In case, outside the limit of this Police Station, then
(यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)
Name of P.S (थाना का नाम):
District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): Margub Ahmed

(b) Father's Name (पिता का नाम): Maqbool Beg

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1984
(d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA
(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की तिथि):
Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड,मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No. (क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान सं.)

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	ZZ-148, Gali No. 2, Idgah, Kachchi Basti, Near Noorani Masjid, Delhi Bypass, GALTAGATE, JAIPUR CITY (NORTH), RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	ZZ-148, Gali No. 2, Idgah, Kachchi Basti, Near Noorani Masjid, Delhi Bypass, GALTAGATE, JAIPUR CITY (NORTH), RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.):
Mobile (मोबाइल न.): 91-9887337837

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):
Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary)
(सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))

10. Total value of property stolen(In Rs/-)
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट कम- 12, जयपुर महानगर द्वितीय फौजदारी परिवाद संख्या 53/2026 मरगूब अहमद पुत्र मकबूल बेग आयु 42 वर्ष, निवासी जेड जेड-148, गली नम्बर 2, ईदगाह, कच्ची बस्ती, नूरानी मस्जिद के पास, दिल्ली बाईपास, जयपुर-302002 राजस्थान मो. नं. 9887337837 – परिवादी बनाम 1. शहजाद खान पुत्र नामालूम आयु वयस्क निवासी मोती कटला बाजार, छोटी मस्जिद के पास, हांडीपुरा, जगन्नाथ शाह का रास्ता, चौकडी रामचन्द्र जी की, जयपुर। 2. मजहर खान पुत्र नामालूमआयु-वसस्क निवासी पुराना रामगढ मोड, आमेर रोड़, मंसूरी समाज भवन के पास, जयपुर 3. एक्स पी ओ आर यु कम्पनी पता नामालुम -अभियुक्तगण परिवाद अन्तर्गत धारा 210 बी.एन.एस.एस. अपराध अन्तर्गत धारा 316 (2), 319 (2), 318(4), 338, 336(3),338, 340 (1) बी.एन.एस. पुलिस थाना सुभाष चौक जयपुर श्रीमान जी, परिवादी की ओर से परिवाद निम्न प्रकार पेद्दा है- 1. यह कि परिवादी उपरोक्त शीर्षक में वर्णित दर्ज पते पर परिवार सहित निवास करता है।2. यह कि परिवादी जवाहारात का व्यवसाय करता है और परिवादी ने बडी मेहनत और खून पसीने की कमाई से अपने परिवार के भविष्य के लिए बचत करके रूपयो जमा कर रखा था इसी दौरान परिवादी के फईम खान को अभियुक्त संख्या 1 व 2 मिले और स्वंय को अभियुक्त संख्या 3 एक्स.पी. ओ.आर.यु कम्पनी का फैन्चाईजी मैनेजर ओर प्रमोटर ऐजेन्ट बताया और अभियुक्त संख्या 1 व 2 ने बताया कि अभियुक्त संख्या 3 कम्पनी एक्स.पी.ओ.आर.यु मे राशि निवेश कर दो तो साप्ताहिक और मासिक आधार पर भारी मुनाफा कमा सकते हो जिसमें से मुनाफे की 30 प्रतिशत राशि काट कर 70 प्रतिशत राशि परिवादी के खाते में ट्रांस्फर कर दी जायेगी। 3. यह कि परिवादी व परिवादी के साले फईम खान ने उक्त कम्पनी की विश्वसनियता के सबंध में पूछा तो अभियुक्त संख्या 1 ने कहा कि अभियुक्त संख्या 2 एक्स.पी.ओ.आर.यु में बिजनेस पार्टनर है वो परिवादी को विस्तार से मुनाफे योजना के बारे में बता देगा और अभियुक्त संख्या 1 ने कहा कि मेरा सी.ए का काम है पुख्ता ओफिस है उक्त अभियुक्तगण परिवादी व परिवादी के साला को लेकर अपने आफिस स्थित मोती कटला बाजार, छोटी मस्जिद के पास, हाडीपुरा, जगन्नाथ शाह का रास्ता, चौकडी रामचन्द्र जी की, जयपुर पर लेकर गये ओर अभियुक्त संख्या 1 व 2 ने अपने मोबाईल फोन में सोशल मिडिया पर उक्त कम्पनी एक्स.पी.ओ.आर.यु के प्रमोशन सेमिनार विदेशी टूयर के अपने विडियो फोटो दिखाये और यह भी बताया कि अभियुक्त संख्या 2 पहले फुटपाथ पर प्लास्टिक के आईटम बेचकर बमुशकिल गुजारा करता था तो अभियुक्त संख्या 2 ने भी एक्स.पी. .आर.यु में बहुत ही कम समय मे बहुत भारी मुनाफा कमा लिया और मकान, महंगी गाडिया खरीद कर आराम की जिंदगी जी रहा है। 4. यह कि परिवादी अभियुक्त संख्या 1 व 2 की लोक लुभावनी बातो पर विश्वास व भरोसा कर दिनांक 31.07.2025 को अभियुक्त संख्या 1 के आफिस में 4,00,000/-रूपये अक्षरे चार लाख रूपये नगद दे दिये, जिस पर अभियुक्त संख्या 2 ने अभियुक्त संख्या 1 के

कहने पर परिवादी का मोबाईल फोन लेकर परिवादी के नाम से एक्स.पी.ओ. आर.यु कम्पनी की परिवादी की आई.डी और पोर्टफोलियो बना दिया जिसमे परिवादी द्वारा अदा करी गयी राशि 4,00,000/-रूपये की यु.एस अमेरिकन डालर में दर्शाई गयी कुछ दिन बाद परिवादी ने अभियुक्त संख्या 1 व 2 द्वारा बतायी गयी साप्ताहिक अवधी के मुनाफे की राशि परिवादी के अकाउंट मे नही आने की बात बतायी तो अभियुक्तगण ने कहा कि अभी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर उक्त एक्स.पी.ओ.आर.यु कम्पनी के सोफ्टवेयर की मेंटेनेस का काम चल रहा है इसलिये परिवादी की राशि 4,00,000/-रूपये अक्षरे चार लाख रूपये का मुनाफा जनरेट नही हो रही है और कहा कि परिवादी 10,00,000/-रूपये अक्षरे दस लाख रूपये ओर निवेश कर दो, जिस पर परिवादी ने अभियुक्तगण से अपनी मजबूरी जताई तो अभियुक्तगण ने कहा कि आप को 10,00,000/-रूपये अक्षरे दस लाख रूपये ओर लगा दोगे तो आपका पहले का और वर्तमान रिटर्न मिलाकर एक्सट्रा बोनस देगा नही तो आपकी पहले की राशि भी जब्त हो जावेगी, इस बात से घबरा कर परिवादी ने बहुत प्रयास करके दिनांक 02.10.2025 को 7,00,000/-रूपये अक्षरे सात लाख रूपये अभियुक्तगण संख्या 1 व 2 को निवेश के लिये दे दिये जिसके उपरांत अभियुक्तगण को अपनी मजबूरी बतायी कि ओर राशि नही दे सकता हूँ जिस पर अभियुक्तगण ने 7 लाख रूपये की राशि आधे आधे कर अपने पास रख लिए, इसके एक महिने बाद जब अभियुक्तगण से मुनाफा राशि हेतु सम्पर्क किया तो अभियुक्तगण ने कहा कि आपका और आपके साले फईम खान का बोनस और मुनाफा जनरेट हो गया है लेकिन कम्पनी का सोफ्टवेयर का मेनटीनेंस का सिस्टम नही चल रहा है, कभी कोई ना कोई बहाना बनाकर बहला फुसला कर वापस भेज देते थे इसी दौरान परिवादी को सोशल मिडीया पर ओर समाचार पत्र से उक्त एक्स.पी.ओ. आर. यु कम्पनी के फर्जी वाडे की जानकारी मिली तो परिवादी के पैरो तले जमीन खिसक गयी इस प्रकार अभियुक्तगण ने फर्जी कम्पनी का ऐजेन्ट ओर फर्जी फेन्जाईजी मेनेजर बता कर परिवादी से परिवादी की गाढे खून पसीने की राशि 11,00,000/-रूपये अक्षरे ग्यारह लाख रूपये हडप कर ली है। 5. यह कि अभियुक्तगण के विरूद्ध राजस्थान के विभिन्न पुलिस थानो में उक्त फर्जी कम्पनी के संबध में एफ.आई.आर दर्ज है, अब परिवादी को पूरा विश्वास हो गया है कि अभियुक्तगण ने उक्त एक्स.पी.ओ.आर.यु कम्पनी का फर्जी ऐजेन्ट ओर फर्जी फेन्जाईजी मेनेजर बता कर परिवादी के साथ घोखाधडी कर परिवादी की राशि हडप ली तथा फर्जी कम्पनी व कूटरचित दस्तावेजो के आधार पर परिवादी के साथ छल कर राशि हडप की गयी है। 6. यह कि अभियुक्तगण का उक्त कृत्य अन्तर्गत धारा 316(2), 319(2), 318(4), 338, 336(3),338, 340 (1) बी.एन. एस. की श्रेणी में आता है। 7. यह कि उक्त घटना के संबंध में एक लिखित रिपोर्ट श्रीमान थानाधिकारी महोदय पुलिस थाना सुभाष चौक जयपुर को दी पुलिस वालो ने परिवादी की रिपोर्ट दर्ज नही की, तत्पश्चात जरिये रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 20.07.2026 को प्रेषिति की किन्तु फिर भी रिपोर्ट दर्ज नही की जिस पर एक लिखित रिपोर्ट श्रीमान पुलिस उपायुक्त उत्तर जयपुर महानगर को जरिये रजिस्टर्ड डाक दिनांक 22. 07.2026 को प्रेषित की लेकिन उसके बाद भी परिवादी की रिपोर्ट दर्ज नही की और ना ही अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई कार्यवाही की, इसलिए श्रीमान जी के समक्ष यह परिवाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। 8. यह कि अभियुक्तगण का उक्त कृत्य पुलिस थाना सुभाष चौक जयपुर के क्षेत्राधिकार में घटित होने के कारण श्रीमान न्यायालय को परिवाद पत्र सुनने व निस्तारण करने का क्षेत्राधिकार विधि में प्राप्त है। 9. यह कि परिवाद पत्र उचित न्याय शुल्क एवं अन्दर मियाद पेश है। अतः परिवादी की ओर से परिवाद पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि परिवादी का परिवाद पत्र स्वीकार फरमाया जाकर परिवाद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 175(3) के तहत पुलिस थाना सुभाष चौक जयपुर में भेजा जाकर एफ.आई. आर. दर्ज की जाकर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने के आदेश फरमाने की कृपा करे। जयपुर, दिनांक 05/08/2026 परिवादी मरगूब अहमद मरगूब अहमद--------कार्यवाही पुलिस---------- प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा इस्तगासा अन्तर्गत धारा 175(3) BNSSका न्यायालय श्रीमान अपर सिविल न्यायाधीश एंव न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 12 जयपुर महानगर द्वितीय के परिवादी मरगूब अहमद पुत्र श्री मकबूल बेग उम्र 42 साल जाति मुसलमान निवासी जेड जेड 148 गली नम्बर 2 ईदगाह कच्ची बस्ती नूरानी मस्जिद के पास दिल्ली बाईपास जयपुर व आरोपी शहजाद खान (2) मजहर खान (3) एक्स पी ओआर यु कम्पनी के विरूद्ध जुर्म धारा 316(2), 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), BNS मे वास्ते प्रकरण पंजिबंद्ध करने हेतु जरिये डाक थाना हाजा पर प्राप्त हुआ जिसकी अक्षर से अक्षर नकल CCTNS वेब पोर्टल मे

की जावेगी मजमून रिपोर्ट से जुर्म धारा 316(2), 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), BNS का वकु मे आना पाये जाने पर अभियोग पंजीबद्ध कर तफ्तीश श्री गोनिन्द सिंह ASI के जिम्मे किया गया। CCTNS वेब पोर्टल मे प्रविष्ठी के पश्चात जारी FIR क्रमांक पृथक से नीचे अंकित किये जायेगे। प्रतिया FIRनियमानुसार जारी की जावेगी।

13 Action taken Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम): Govind Singh **Rank (पद):** सहायकउप - निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) Refused investigation due to (जाँच के लिए) :

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) Transferred to P.S.(थाना): **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई|)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Subhash Chand Meena
Location: Rajasthan,IN
Date: 25/08/2026 23:29:26

15. Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): SUBHASH CHAND

Rank (पद): Asst. SI (Assistant Sub-Inspecto

No(सं.):